भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1314

उत्तर देने की तारीख-11/02/2026

वंचित बच्चों के लिए विद्यालयों की सुलभता

1314# **श्री नीरज डांगी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के स्कूल न जाने वाले बच्चों के संबंध में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन समुदायों के बच्चों के स्कूल न जाने के कारणों के संबंध में कोई जानकारी एकत्रित की गई है, यदि हां, तो सरकार इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार द्वारा संचालित शिक्षा योजनाओं में सुविधाओं की कमी इसका मुख्य कारण है; और

(घ) यदि हां, तो वंचित समूह के लिए शिक्षा सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): यूडाइज+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) 2024-25 के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी वर्ष 2023-24 की 'पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफ़एस)' रिपोर्ट के अनुसार, वे छात्र जो कभी स्कूल नहीं गए, उनके मुख्य कारण में घर की आय में सहायता करना, घरेलू कार्य करना, शिक्षा को ज़रूरी न समझना, आदि शामिल हैं ।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समग्र शिक्षा

योजना कार्यान्वित कर रहा है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटना समग्र शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। समग्र शिक्षा के तहत, छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें राज्य द्वारा परिभाषित पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा VIII तक की छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तकें, सभी स्कूलों में लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था, कक्षा VI से XII तक की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कक्षा I से XII तक की सीडब्लयूएसएन छात्राओं को वेतन, अन्य के साथ-साथ, न्यायसंगतता के लिए विशेष राज्य-विशिष्ट परियोजनाएं जैसे जीवन संबंधी कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, इन्सिनरेटर, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें आदि, और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण शामिल हैं।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। केजीबीवी कक्षा VI से XII तक एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित छात्राओं के लिए आवासीय स्कूल हैं।

भारत सरकार ने 75 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए 11 महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है, जिसमें 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा की गई 25 पहलें शामिल हैं और इसका उद्देश्य एसटी बहुल गांवों या आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचे और मानव विकास की कमियों को पूरा करके जनजातीय समुदायों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। समग्र शिक्षा के तहत, पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए के तहत छात्रावास के निर्माण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य का मंत्रालय (एमओटीए)वर्ष 2018-19 से आदिवासी छात्रों (कक्षा VI से XII तक) को उनके अपने वातवारण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) कार्यान्वित कर रहा है।

एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, एससी, एसटी और ओबीसी सहित सभी छात्रों को उनके माता-पिता की आय सीमा और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ दिया जाता है।

*****